

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

क्रमा नम्बर :- 112/2023

1. सीताराम पत्नी श्री रविन्द्र कुमार जाति बलाई निवासिनी ग्राम देवीपुरा, सीकर तहसील व जिला सीकर

वादीया

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी सोहन लाल, जाति बलाई निवासी देवीपुरा तहसील व जिला सीकर
2. जीवणी देवी पत्नी सुलेमान
3. नाबालिग मुना पुत्र सलीम हुसैन सरंक्षक सरपरस्त माता शाना पत्नी सलीम हुसैन
4. शाना पत्नी स्व सलीम हुसैन
5. शौकत हुसैन पुत्र सुलेमान
6. सकील हुसैन पुत्र सुलेमान
7. सब्बीर हुसैन पुत्र सुलेमान
समस्त जाति मुसलमान, निवासीगण वार्ड न. 30 मोहल्ला खोखरान, सीकर तहसील व जिला सीकर
8. तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- श्री विधाधर सुण्डा अधिवक्ता वादिया
श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक:- भू.अ./24/594 दिनांक 02.02.2024 के अनुसार भिजवाये गये प्रस्ताव के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी- सीकर



वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	14.00	स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	36.00
..... रुपये पर प्लीडर	36.00	प्लीडर की फीस	
फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह	
साक्षियों के लिए		व्यय	
निर्वाह-व्यय	12.00	आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल			
जोड़	64.00	जोड़	36.00


 उपखण्ड (अध्यक्ष) अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर

